प्रदेश राजपत्र भाग - २ दिनांक २० अगस्त, १९७६ के पृष्ठ क्रमांक ८४१ में -
शासन की प्रतिलिपि :-

स्थानीय शासन विभाग

भोपाल, दिनांक १२ जुलाई, १९७६

क्र० ४१४-अठारह -- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५७ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव नगरपालिका परिषद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २८३ की उपधारा (१) के खण्ड (क), (ड), (ट) तथा (ध) और धारा ३५६ की मद (एक) तथा धारा ३५७ की उपधारा (५) के साथ पठित धारा ३५८ के खण्ड (८) के उपखण्ड (ग) की मद (चार) के अधीन बनाई गई निम्नलिखित उपविधियों को, जो उक्त अधिनियम की धारा ३५७ की उपधारा (४) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, पुष्टि करता है, अर्थात् :—

उपविधियां

१ (१) ये उपविधियां राजनांदगांव नगरपालिका उद्वेक निर्माण शाला (स्थान निरीक्षण तथा अनुज्ञापन) उपविधियां, १९७६ कहलायेंगी ।

(२) ये संपूर्ण नगरपालिका पर लागू होंगी ।

(३) ये उनके "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त हों

२ इन उपविधियों के प्रारम्भ होने से राजनांदगांव नगरपालिका में प्रवृत्त उपविधियों की तत्स्थानी वे समस्त नियम, आदेश तथा उपविधियां, जो इन उपविधियों के प्रारम्भ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, निरस्त हो जायेंगे :

परन्तु इस प्रकार निरस्त किन्हीं नियमों, आदेशों तथा उप के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही जब तक कि वह उप विधियों के उपबंधों से असंगत न हो, इन उपविधियों के तत्स्थानी के अधीन की गई समझी जायेंगी ।

३ इन उपविधियों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "मुख्य नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है नगरपालिका परि राजनांदगांव का मुख्य नगरपालिका अधिकारी ;

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद्, रा

Scanned by CamScanner

(ख) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है परिषद् का मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इस संबंध में परिषद् द्वारा प्राधिकृत परिषद् का कोई अन्य प्राधिकारी ;

(ग) "उद्योग निर्माण शाला" से अभिप्रेत है आरा मिल, दाल मिल, आटा मिल, चावल मिल, तेल मिल, कपास ओटनी तथा पीडनी (कॉटन जिनिंग प्रेस) मिल, हलर मशीन, अन्य कारखाने और कर्मशाला (वर्कशाप) ;

(घ) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी स्थान का स्वामी या दखलकार ।

४- कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी स्थान का उद्योग निर्माण शाला के प्रयोजन के लिये इन उपविधियों के अधीन इस संबंध में मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति के बिना या इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के अतिरिक्त उपयोग में नहीं लायेगा ।

५- अनुज्ञप्ति के लिए उपविधि ६ में विहित फीस के साथ आवेदन - पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या तो इन उपविधियों से संलग्न प्रारूप में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसे मंजूर करने से इंकार कर सकेगा ।

६- अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी :—

		रुपये प्रतिवर्ष
(क)	चावल मिल	१५०-००
(ख)	दाल मिल	१००-००
(ग)	आरा मिल	१००-००
(घ)	तेल मिल	१००-००
(ङ)	आटा मिल	२५-००
(च)	प्रति हलर मशीन	२५-००
(छ)	पशुदाना मिल	१००-००
(ज)	कपास ओटनी तथा पीडनी मिल	२५-००
(झ)	गन्ना बेलन	१५-००
(ञ)	शक्कर मिल	२००-००
(ट)	अन्य कारखाने या कर्मशाला	२५-००

७- इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति उसके जारी होने के दिनांक से आगामी ३१ मार्च को समाप्त होने वाली कालाव-

८- इन उपविधियों के अधीन एक बार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, जो निलंबित या रद्द न की गई हो आवेदन किये जाने पर उपविधि ६ में विनिर्दिष्ट की गई फीस के भुगतान पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नवीकृत की जा सकेगी। नवीकरण के लिये आवेदन - पत्र प्रति वर्ष ३१ मार्च के पूर्व दिया जायेगा तथा उसके साथ नवीकृत की जाने वाली अनुज्ञप्ति संलग्न की जायेगी।

९- यदि इन उपविधियों के अधीन मंजूर या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति विकृत हो जाय या गुम जाय या नष्ट हो जाय तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी - जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे पांच रुपये फीस का - भुगतान किये जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा।

१०- अनुज्ञापन प्राधिकारी अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन उपविधियों या किन्हीं अपेक्षाओं के या अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों के अपालन करने पर या - किन्हीं भी अन्य या पर्याप्त कारणों से इस प्रकार मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा। ऐसा निलंबन या रद्दकरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके संबंध में भुगतान की गई किसी फीस की वापसी के दावे के लिये हकदार नहीं बनायेगा।

११- अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार करने वाला या पूर्व में ही मंजूर की गई - अनुज्ञप्ति को रद्द करना या निलंबित करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित में अभिलिखित किया जायगा तथा उसमें ऐसे आदेश के लिये कारणों का संक्षिप्त विवरण अन्तर्विष्ट होगा। ऐसे आदेश की प्रति का, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा।

१२- आरा मिल, दाल मिल, आटा मिल, तेल मिल, कपास ओटनी तथा पीडू (काटन जिनिंग प्रेस) मिल, इतर मशीन कारखानों तथा कर्मशालाओं के लिये मंजूर की गई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यधीन होगी:

(एक) वह भवन जिसमें आरा मिल, दाल मिल, आटा मिल, चांवल मिल, तेल मिल, कपास ओटनी तथा पीडनी (काटन जिनिंग प्रेस) मिल, इतर मशीन, कारखाना या कर्मशाला स्थित हो, पर्याप्त मजबूत तथा दृढ़ाधार होगा;

(दो) उक्त भवन समुचित मरम्मत में रखा जायेगा और मशीन को सुरक्षित तथा बाढ़ लगाकर रखा जायगा;

(तीन) उस दशा में जबकि मिलें या मशीनें वाष्प इंजिन द्वारा चलायी जाती हों चिमनी ३० मीटर की परिधि में स्थित उच्चतम भवन से कम से कम [illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

(पांच) मिल के इंजिन या मशीन को परिषद् द्वारा नियत समय से अधिक समय नहीं चलाया जायगा ;

(छः) परिसरों में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो नियोजित नहीं किया जायेगा ।

(सात) अनुज्ञप्तिधारी, मिल और उसके परिसीमाओं को स्वच्छ दशा में रखेगा ;

(आठ) अनुज्ञप्तिधारी, मिल को इस प्रकार नहीं चलायेगा जिससे भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २६८ में परि- -भाषित किये गये अनुसार न्यूसेन्स उत्पन्न हो ;

(नौ) अनुज्ञप्तिधारी मिल, कारखाना, कर्मशाला तथा उसकी परिसीमाओं को स्वच्छ दशा में रखने के प्रयोजनों के लिये अनुज्ञापन पदाधिकारी के समस्त लिखित आदेशों का पालन करेगा ;

(दस) अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय होगी ।

१३- इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसको आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, परिषद् को अपील कर सकेगा ।

१४- अनुज्ञापन पदाधिकारी या इस संबंध में परिषद् द्वारा प्राधिकृत किया गया परिषद् का कोई अन्य पदाधिकारी समस्त युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसरों का निरीक्षण कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर का निरीक्षण करने के लिये और यह अभिनिश्चित करने के - लिये कि इन उपविधियों की समस्त अपेक्षाओं का सम्यक्रूप से पालन किया जा रहा है, प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा ।

१५- उद्वेलक निर्माणशाला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होगी या ऐसे अन्य स्थानों पर स्थित होगी जिसे कि परिषद् द्वारा अनुज्ञात किया जाय

१६- विद्यमान उद्वेलक निर्माण शाला को औद्योगिक क्षेत्र में या इस प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये स्थान में स्थानांतरित किये जाने हेतु युक्तियुक्त समय दिया जायेगा ।

१७- इन उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों का भंग ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और जब भंग निरन्तर प्र का हो तो ऐसे और जुर्माने से , जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये , जिसमें भंग का लगातार किया जाना सिद्ध हो, ५ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

Scanned by CamScanner

अनुज्ञप्ति का प्रारुप

(उपविधि ५ देखिये)

अनुज्ञापन क्रमांक..............

नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उद्देवक निर्माण शाला के लिये स्थान का उपयोग में लाने हेतु अनुज्ञप्ति ।

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और राजनांदगांव नगरपालिका उद्देवक निर्माणशाला - (स्थान निरीक्षण तथा अनुज्ञापन) उपविधियां, १९७९ के अध्यधीन रहते हुए श्री.......................... आत्मज................. को............... रुपये की अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करने पर, उक्त उपविधियों में वर्णित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, स्थान.............. जो वार्ड क्रमांक.......में स्थित है और जिसका माप.........है, उद्देवक निर्माण शाला के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुए, एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है ।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक............... से................ तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) प्रवृत्त रहेगी । आज दिनांक.........-१९७ को मंजूर की गई ।

शर्तें

(एक) वह भवन जिसमें आरा मिल, दाल मिल , आटा मिल, चांवल मिल, तेल मिल, कपास ओटनी तथा पीजनी (काटन जिनिंग प्रेस) मिल, हलर मशीन कारखाना या कर्मशाला स्थित हों, पर्याप्त मजबूत तथा दृढ़ाधार होगा;

(दो) उक्त भवन समुचित मरम्मत में रखा जावेगा और मशीन को सुरक्षित तथा बाढ़ लगाकर रखा जावेगा ;

(तीन) उस दशा में जबकि मिलें या मशीनें वाष्प इंजिन द्वारा चलायी जाती हों चिमनी ३० मीटर की परिधि में स्थित उच्चतम भवन से कम से कम पांच मीटर ऊंची होगी ;

(चार) मिल या हलर मशीन के इंजिन में कार्यक्षम ध्वनि अवरोधक फिट किया जायेगा;

(पांच) मिल के इंजिन या मशीन को परिषद् द्वारा नियत समय से अधिक समय तक नहीं चलाया जावेगा ;

(छः) परिसरों में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो, नियोजित नहीं किया जायेगा;

(सात) अनुज्ञप्तिधारी मिल और उसकी परिसीमाओं को स्वच्छ दशा में रखेगा ।

(आठ) अनुज्ञप्तिधारी मिल को इस प्रकार नहीं चलायेगा जिससे कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २६८ में परिभाषित किये गये अनुसार न्यूसेन्स उत्पन्न हो ;

(नौ) अनुज्ञप्तिधारी परिसरों में प्रत्येक मिलिंग प्रक्रिया (मिलिंग प्रोसेस) समाप्त होने के पश्चात् एक मास से अधिक कालावधि के लिये भूसा या छिलका - संचित नहीं होने देगा ;

(दस) अनुज्ञप्तिधारी मिल, कारखाना, कर्मशाला तथा उसकी परिसीमाओं को स्वच्छ दशा में रखने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन पदाधिकारी के समस्त लिखित आदेशों का पालन करेगा ;

(ग्यारह) अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय है ।

....

अनुज्ञापन पदाधिकारी के हस्ताक्षर
नगरपालिका परिषद्,
राजनांदगांव ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एम०एम०ख्युब, सचिव।

--:o:--

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, राजनांदगांव ।

क्रमांक ४४८१ ।सा०प्र०। १२३ ।७६-७७। राजनांदगांव, दिनांक 26 अगस्त, १९७६।

प्रतिलिपि उपराजस्व निरीक्षक (लाइसेंस) नगरपालिका परिषद्, - राजनांदगांव को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
राजनांदगांव।

मुन्नालाल।-

-:-:-

Scanned by CamScanner